

Details for registration number : PMOPG/E/2026/0143896	
Name Of Complainant	joshi Narendra bhai kishorbhai
Date of Receipt	03/08/2026
Received By Ministry/Department	Prime Minister's Office
Grievance Description	
सेवा में, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची, झारखंड - 834004 विषय: झरिया अंचल में तत्काल व्यवस्था बंद करने, सामान्य प्रणाली से 2 से 3 दिन में प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं नजीर श्री मनोज कुमार ओझा के पुनः पदस्थापन हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में हम, धनबाद जिला अंतर्गत झरिया, सिंदरी एवं मोहन बाजार क्षेत्र के निवासी तथा छात्र, आपका ध्यान झरिया अंचल कार्यालय की गंभीर प्रशासनिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। झरिया अंचल कार्यालय में नजीर के पद पर कार्यरत रहे श्री मनोज कुमार ओझा के कार्यकाल के दौरान कार्यालय का माहौल अनुशासित और जन-अनुकूल था। वर्तमान अंचल अधिकारी एवं श्री ओझा ने बार-बार सार्वजनिक रूप से सभी ग्रामीणों तथा आवेदकों को समझाया था कि प्रमाण पत्रों एवं अंचल के किसी भी कार्य के लिए एक रुपया भी नहीं देना है और यदि कहीं भी ऐसा लेन-देन दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए। उनके रहते बिचौलियों एवं असामाजिक तत्वों की मनमानी पर पूर्ण विराम लगा हुआ था। परंतु उनके स्थानांतरण के पश्चात स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अंचल निरीक्षक श्री रामरतन पांडे एवं कुछ कर्मचारियों की शह पर दलालों और बिचौलियों का नेटवर्क धड़ल्ले से चल रहा है। तत्काल व्यवस्था के नाम पर छात्रों से पैसों का लेन-देन किया जा रहा है और पैसे देने वालों के आवेदन तुरंत स्वीकृत कर दिए जाते हैं, जबकि आम छात्रों को महीनों भटकाया जा रहा है। अतः मुख्य सचिव महोदय से सविनय आग्रह है कि अंचल में तत्काल व्यवस्था के नाम पर चल रही अवैध वसूली पर रोक लगाते हुए इसे बंद किया जाए और सामान्य प्रणाली से ही छात्र द्वारा आवेदन करने के 2 से 3 दिनों के भीतर निःशुल्क एवं पारदर्शी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह सभी कर्मचारियों एवं अंचल निरीक्षक की लॉगिन आईडी की निष्पक्ष जांच कराई जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, तथा श्री मनोज कुमार ओझा को पुनः झरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित किया जाए। यदि इस आवेदन पर अविलंब संज्ञान लेते हुए सुधार नहीं किया गया, तो झरिया, सिंदरी एवं मोहन बाजार के समस्त छात्र तथा ग्रामीण मिलकर उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य सचिवालय एवं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त (डीसी) धनबाद की होगी। भवदीय, समस्त छात्र एवं क्षेत्रवासी झरिया, सिंदरी एवं मोहन बाजार, धनबाद (झारखंड)	
Current Status	Under process
Date of Action	07/08/2026
Officer Concerns To	
Officer Name	MANOJ KUMAR (Circle Officer Jharia)
Organisation name	CO OFFICE JHARIA
Contact Address	circleOfficeJharia
Email Address	co_jharia@rediffmail.com
Contact Number	07970415536
Reminder(s) / Clarification(s)	
Reminder Date	Remarks
25/08/2026	सेवा में, श्रीमान मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, प्रथम तल्ला, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची, झारखंड - आठ तीन चार शून्य शून्य चार विषय: झरिया अंचल के अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे के विरुद्ध दर्ज शिकायत संख्या पायो पर कार्रवाई न होने के संबंध में प्रथम स्मरण पत्र। महोदय,

	सदर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा झरिया अंचल के अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता को लेकर लोक शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2026/0143896 है। अत्यंत खेद का विषय है कि शिकायत दर्ज किए लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी संबंधित विभाग अथवा अंचल कार्यालय द्वारा अब तक इस पर कोई पारदर्शी जांच नहीं की गई है। न तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और न ही प्रार्थी को कोई संतोषजनक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों की इस शिथिलता एवं ढुलमुल रवैये के कारण शिकायत पोर्टल पर अभी तक लंबित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मुख्य सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध है कि शिकायत संख्या PMOPG/E/2026/0143896 पर स्वयं व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच का आदेश देने की कृपा की जाए। आरोपी अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे के विरुद्ध नियमानुसार कड़ा अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कदम उठाया जाए तथा प्रार्थी को की गई कार्रवाई का लिखित एवं संतोषजनक विवरण उपलब्ध कराते हुए शिकायत का पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक: मूल ऑनलाइन शिकायत की प्रति PMOPG/E/2026/0143896
19/09/2026	विषय: PMO पोर्टल शिकायत संख्या PMOPG/E/2026/0143896 पर कार्रवाई एवं दूसरे रिमाइंडर पर भी उत्तर न मिलने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त शिकायत दिनांक 03/08/2026 को PMO पोर्टल पर दर्ज की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 25/08/2026 को प्रथम रिमाइंडर भी भेजा गया था। अत्यंत खेद का विषय है कि डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने और दूसरा रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद अब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जनहित के विषय पर इस प्रकार की विभागीय उदासीनता एवं प्रशासनिक शिथिलता गंभीर सवाल खड़े करती है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि शिकायत संख्या PMOPG/E/2026/0143896 पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कृत कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा इस लापरवाही को मीडिया एवं उच्च प्रशासनिक स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाएगा।
30/09/2026	महोदय मैं जोशी नरेन्द्र भाई किशोर भाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत पोर्टल CPGRAMS पर झरिया अंचल धनबाद झारखंड से संबंधित दो ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई थीं शिकायत संदर्भ विवरण प्रथम शिकायत संख्या PMOPG E 2026 0114421 दर्ज तिथि 26 06 2026 द्वितीय शिकायत संख्या PMOPG E 2026 0143896 दर्ज तिथि 03 08 2026 प्रथम स्मरण पत्र भेजने की तिथि 25 08 2026 अपील का संक्षिप्त विवरण प्रथम शिकायत दर्ज किए लगभग तीन महीने और दूसरी शिकायत तथा रिमाइंडर भेजे एक महीने से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद झरिया अंचल कार्यालय एवं अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे द्वारा अब तक कोई जांच रिपोर्ट या अंतिम समाधान प्रदान नहीं किया गया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जा रही यह घोर प्रशासनिक देरी और लापरवाही CPGRAMS के उन नियमों का सीधा उल्लंघन है जो 21 से 30 दिनों के भीतर शिकायत निवारण को अनिवार्य बनाते हैं। अपीलकर्ता द्वारा चाहा गया समाधान 1 कृपया तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उपायुक्त धनबाद और झरिया अंचल कार्यालय को दोनों शिकायतों पर बिना किसी देरी के अंतिम जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दें। 2 कर्तव्य में लापरवाही बरतने और PMO पोर्टल के आदेशों का पालन न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें। आवेदक का नाम जोशी नरेन्द्र भाई किशोर भाई पता झरिया धनबाद जिला झारखंड संपर्क नंबर 9537658850 स्थान झरिया धनबाद तिथि 30 09 2026
13/10/2026	सेवा में मुख्य सचिव कार्यालय लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रोजेक्ट भवन धुर्वा रांची झारखंड 834004 विषय CPGRAMS पर दर्ज शिकायतों पर तीन महीने से अधिक बीतने और बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी कार्रवाई न होने तथा झरिया अंचल कार्यालय की मनमर्जी के संबंध में अपील महोदय मैं जोशी नरेन्द्र भाई किशोर भाई अत्यंत दुखी होकर आपका ध्यान झरिया अंचल धनबाद के अधिकारियों द्वारा की जा रही घोर प्रशासनिक लापरवाही और मनमर्जी कार्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। CPGRAMS के नियमानुसार 21 से 30 दिनों में शिकायत का निवारण अनिवार्य है परंतु महीनों बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

शिकायतों एवं स्मरण पत्र रिमाइंडर का पूर्ण विवरण
प्रथम मूल शिकायत संख्या PMOPG E 2026 0114421 दर्ज तिथि 26 06 2026
स्थिति 109 दिन साढ़े तीन महीने से अधिक से लंबित
द्वितीय मूल शिकायत संख्या PMOPG E 2026 0143896 दर्ज तिथि 03 08 2026
स्थिति 71 दिन दो महीने से अधिक से लंबित
प्रथम स्मरण पत्र रिमाइंडर 1 तिथि 25 08 2026 लंबित समय 49 दिन
द्वितीय स्मरण पत्र रिमाइंडर 2 तिथि 30 09 2026 लंबित समय 13 दिन
आज की तिथि 13 10 2026 तक स्थिति कोई जांच रिपोर्ट या समाधान प्रदान नहीं किया गया।
अधिकारियों की मनमर्जी और लापरवाही का विवरण
CPGRAMS नियमों का सीधा उल्लंघन 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी मामले को अटका कर रखा गया है।
जांच रिपोर्ट दबाना झरिया अंचल कार्यालय एवं अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे द्वारा जानबूझकर जांच रिपोर्ट दबाई जा रही है।
पीएमओ पोर्टल के आदेशों की अवहेलना सर्वोच्च कार्यालय से प्रेषित शिकायतों और बार बार स्मरण पत्र Reminders भेजने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न करना अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता व मनमर्जी को दर्शाता है।
अपीलकर्ता द्वारा चाहा गया समाधान
1 तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उपायुक्त धनबाद और झरिया अंचल कार्यालय को दोनों शिकायतों पर बिना किसी देरी के अंतिम जांच रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया जाए।
2 कर्तव्य में लापरवाही बरतने और जांच लटकाने वाले दोषी अधिकारी अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे व संबंधित कर्मों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
3 इतने दिनों तक शिकायत लंबित रखने का स्पष्ट कारण बताते हुए आवेदक को सूचित किया जाए।
आवेदक का विवरण